



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 62798-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 6161/2026

श्री नदीम अली

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जयदीप पांडे

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए श्री आदिल जमाल, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

"(i) दिनांक 14.02.2026 को मामला अपराध संख्या 44/2026 के तहत धारा 85, 70(1), 352, 115(2), 351(3) बीएनएस और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन भोजपुर, जिला- मुरादाबाद में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण लेख की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) याचिकाकर्ता को उक्त एफआईआर के अनुसरण में गिरफ्तार न करने और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) इस मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाला कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(iv) रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 का बहनोई है और पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के कारण प्रतिवादी संख्या 4 ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है और इसलिए याचिकाकर्ता के संबंध में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत हैं, जिनका उद्देश्य याचिकाकर्ता को आपराधिक अदालत में घसीटना और उसे परेशान और अपमानित करना है, और इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पर 21.12.2025 को पीड़िता-प्रतिवादी संख्या 4 और एक कासिम के साथ बलात्कार करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है, विवाह से पहले ही प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे। विद्वान एजीए ने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, पीड़िता का बयान धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया है और पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भी बलात्कार के अपराध का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि बलात्कार की उक्त घटना के बाद जब उसका पति घर लौटा, तो उसने उसे घटना के बारे में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया। पति अपने माता-पिता के पास गया और उन्हें भी घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने पीड़िता पर झूठा बयान देने का आरोप लगाया। इसके बाद, उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और अपने मायके में रहने लगी। हालांकि, पंचायत के बाद विवाद सुलझ गया और याचिकाकर्ता ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, जिसके बाद वह फिर से अपने ससुराल लौट आई। लेकिन 4.1.2026 को याचिकाकर्ता ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया। इस प्रकार, उक्त आरोप से प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत में उल्लिखित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए विद्वान एजीए ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315** के मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आपराधिक अपील संख्या 843/2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य** के हालिया फैसले का हवाला देते हुए, यह निवेदन किया गया है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मददेनजर, इस प्रारंभिक चरण में विशेष रूप से धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान को देखते हुए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, तथा ऊपर वर्णित धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान का अध्ययन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत किया गया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अतः, इस प्रारंभिक चरण में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता और अभियोजन पक्ष की कहानी को आरंभ में ही समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसकी सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी, विशेष रूप से बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, जो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध को प्रकट करता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

9. इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

10. यह रिट याचिका मेरिट हीन है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

25 मार्च, 2026

धीरेन्द्र/

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।